# यूजी(बी.ए. ऑनर्स को छोड़कर)/पीजी कार्यक्रमों के लिए सीट आवंटन नीति

यूजी/पीजी कार्यक्रमों में सीट आवंटन नीति उन नियमों और प्रक्रियाओं का समूह है, जिनका पालन परीक्षा प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न विषयों में पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध सीटें आवंटित करने के लिए किया जाता है।

हम प्रत्येक कार्यक्रम की उपलब्ध सीट मैट्रिक्स के आधार पर सीटें आवंटित करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं।

---

**1. श्रेणीवार आरक्षण (डीडीयूजीयू नीति के अनुसार):**

- **सामान्य (50%)**, जिसमें **ईडब्ल्यूएस (10%)** शामिल है
- **ओबीसी (27%)**
- **एससी (21%)**
- **एसटी (2%)**

**क्षैतिज आरक्षण (16%)** प्रत्येक श्रेणी के भीतर लागू होता है, निम्नलिखित उप-श्रेणियों के अनुसार:

- **दिव्यांग (5%)**
- **स्वतंत्रता सेनानी (2%)**
- **भूतपूर्व सैनिक (2%)**
- **कारगिल योद्धा (1%)**
- **कश्मीरी विस्थापित (5%)**
- **सैनिकों के आश्रित (1%)**

---

**2.** सीट आवंटन मेरिट रैंक, श्रेणी कोटा, और उम्मीदवार की लॉक की गई च्वाइस के आधार पर किया जाता है।

**3.** सामान्य रैंक के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। फिर सिस्टम उम्मीदवार द्वारा दी गई च्वाइस को प्राथमिकता क्रम में देखता है।

**4.** चॉइस लॉक के दौरान उम्मीदवार एक से अधिक विकल्प दर्ज कर सकते हैं।

**5.** सिस्टम सबसे पहले उम्मीदवार की पहली पसंद को लेता है और सामान्य (Unreserved) श्रेणी में सीट की उपलब्धता जांचता है।

यदि सीट उपलब्ध होती है, तो उसे सामान्य श्रेणी में लॉक कर दिया जाता है।

**6.** यदि सामान्य श्रेणी में सीट लॉक नहीं होती, और उम्मीदवार किसी क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Sub-category) से संबंधित है, तो सिस्टम उस श्रेणी में सीट की उपलब्धता जांचता है।

यदि सीट उपलब्ध होती है, तो उसे उम्मीदवार की उप-श्रेणी के अंतर्गत लॉक कर दिया जाता है।

**7.** यदि अब भी सीट लॉक नहीं होती, तो दो स्थितियाँ हो सकती हैं:

**a)** यदि उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी (EWS, OBC, SC, या ST) से संबंधित है, तो सिस्टम उस श्रेणी में सीट की उपलब्धता जांचता है।
यदि सीट उपलब्ध होती है, तो उसे उस श्रेणी के अंतर्गत लॉक कर दिया जाता है।
यदि नहीं, तो सिस्टम अगली च्वाइस (यदि भरी हो) लेता है और वही प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक सीट आवंटन न हो जाए या अंतिम पसंद पूरी न हो जाए।

**b)** यदि उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से संबंधित है, तो सिस्टम अगली च्वाइस (यदि भरी हो) लेता है और वही प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक सीट आवंटन न हो जाए या अंतिम पसंद पूरी न हो जाए।

---

**नोट:**

- यदि कोई विकल्प नहीं मिलता है, तो उम्मीदवार को *Un-Alloted* माना जाएगा।

**निदेशक**
**प्रवेश प्रकोष्ठ**